

प्राक्कथन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिसका पूर्व में नाम राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड था, द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लेवल एल-10 पे मेट्रिस (छठे वेतन आयोग के रू. 3600/- ग्रेड पे) वाले वेतनमान तक की अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन की कार्यवाही की जाती है।

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम के अनुसार किया जाता है।

लिखित परीक्षा के आयोजन में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परीक्षा सुचारू रूप से कराने हेतु विभिन्न पदाधिकारी यथा समन्वयक, उपसमन्वयक, पर्यवेक्षक, केन्द्राधीक्षक, सहायक केन्द्राधीक्षक, एवं अभिजागर आदि की नियुक्ति की जाती है। परीक्षा में निष्पक्षता बनाये रखने हेतु सतर्कता दल, एवं आन्तरिक सतर्कता दलों का भी गठन किया जाता है।

परीक्षा आयोजन के विभिन्न चरण एवं गतिविधियाँ होती हैं। इनके लिए नियुक्त पदाधिकारियों के भी विभिन्न दायित्व हैं। इन सभी गतिविधियों एवं दायित्वों का एक साथ संकलन करने की दृष्टि से यह मार्गदर्शिका तैयार की गयी है। मुझे आशा है कि यह मार्गदर्शिका परीक्षा कार्य के लिए नियुक्त समस्त पदाधिकारियों को उनके दायित्वों के निर्वहन में अवश्य ही सहायक सिद्ध होगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिला प्रशासन के कुशल नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों के सहयोग से परीक्षा बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक एवं निष्पक्षतापूर्ण सम्पन्न होगी।

शुभकामनाओं सहित!

(मेजर जनरल आलोक राज)

अध्यक्ष

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	परीक्षा संबंधी सामान्य निर्देश	1
2.	व्यवस्थाओं का दिवस	2
3.	नियुक्तियाँ	3-4
4.	कंट्रोल रूम की स्थापना	5
5.	बैठक व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश	6
6.	ड्रेस कोड	7
7.	परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश	8
8.	परीक्षा सामग्री व प्रश्न-पत्रों का केन्द्रों पर वितरण	8
9.	प्रश्न पत्र के पैकेट खोले जाने सम्बन्धी अनुदेश	9
10.	परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों का प्रवेश व परीक्षा व्यवस्था	10-12
11.	परीक्षार्थियों की उपस्थिति लेना	12
12.	वीडियोग्राफी के संबंध में सामान्य निर्देश	13
13.	नोडल अधिकारी (पुलिस) हेतु अनुदेश	13
14.	समन्वयक (Co-ordinator) हेतु अनुदेश	14
15.	उपसमन्वयक हेतु अनुदेश	15
16.	सतर्कता दल हेतु निर्देश	16-18
17.	पर्यवेक्षक हेतु निर्देश	18-19
18.	केन्द्राधीक्षक हेतु अनुदेश	19-30
19.	उत्तर पत्रकों एवं अन्य सामग्री को बोर्ड कार्यालय हेतु प्रेषित करने की व्यवस्था	31-32
20.	अनुचित साधन अपनाये जाने संबंधी मामले निपटाये जाने बाबत निर्देश	33
21.	परीक्षा के लिए मानदेय की दरें एवं मानदण्ड	34-37
22.	परीक्षा में उपयोग लाये जाने वाले विभिन्न प्रपत्र एवं परिशिष्ट	38
23.	अभिजागर हेतु अनुदेश	39-44
24.	ध्यान देने योग्य विशेष बिन्दु	45-46
25.	समन्वयक द्वारा प्रस्तुत व्यय का विवरण प्रपत्र-1(1) व 1(2)	47-48
26.	सतर्कता दल रिपोर्ट प्रपत्र-2(1) व 2(2)	49-50
27.	पर्यवेक्षक की रिपोर्ट प्रपत्र-3	51-52
28.	कंट्रोल रूम रिपोर्ट प्रपत्र-4	53
29.	केन्द्राधीक्षक की रिपोर्ट प्रपत्र-5	54-55
30.	प्रश्न पत्र के पैकेट खोलने का विवरण मय घोषणा पत्र प्रपत्र-6	56
31.	श्रुतलेखक सूचना प्रपत्र-7	57
32.	अभिजागर रिपोर्ट प्रपत्र-8	58-59
33.	अनुचित साधनों का प्रयोग व अनुशासनहीन आचरण वाले परीक्षार्थियों हेतु प्रपत्र-9	60
34.	रूम चार्ट एवं प्रश्न पत्र वितरण प्लानर प्रपत्र-10(1) व 10(2)	61-62
35.	बिल (भाग-1 एवं भाग-2) प्रपत्र-11 व 12	63-64
36.	केन्द्राधीक्षक का प्रमाण पत्र प्रपत्र-13	65
37.	परिशिष्ट-1-5	65-70
38.	दूरभाष निर्देशिका	71